सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 12 फाल्गुन, 1944 (श०) / 03 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 12

(1)	स्वास्थ्य विभाग	..	..	08
(2)	आपदा प्रबंधन विभाग	..	..	01
(3)	पर्यटन विभाग	..	..	01
(4)	योजना एवं विकास विभाग	..	..	02
			कुल योग --	12

प्रावधान के अन्तर्गत आयरन की गोली की व्यवस्था

15. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''नीति आयोग ने बिहार में एनीमिया की स्थिति पर जताई चिंता'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एनिमिया मुक्त अभियान की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रसव के बाद 58 प्रतिशत माताओं को एनिमिया (खून की कमी) से बचाने के लिए आयरन की गोली नहीं दी गई, जबकि प्रावधान के अनुसार गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को एनिमिया से बचाव के लिए आयरन की गोली दिया जाना है, यदि हाँ, तो सरकार विशेष अभियान चलाकर पूरे राज्य में गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को शीघ्र आयरन की गोली देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूकम्प क्लिनिक खोला जाना

16. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधान विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भूकम्प, बाढ़, सूखाड़, भगदड़ आदि से बचाव एवं आपदा संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य के सभी जिलों में भूकम्प क्लिनिक शुरू करने की योजना थी परन्तु अबतक मात्र चार जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं सीतामढ़ी में ही खुल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक राज्य के शेष 34 जिलों में भूकम्प क्लिनिक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अफ्रेसिस मशीन का संचालन

17. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)-- स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 3 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''32 लाख की मशीन का मरीजों को लाभ नहीं'' को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 3 साल पहले डी0एम0सी0एच0 के रीजनल ब्लड बैंक के लिए 32 लाख रुपये का अफ्रेसिस मशीन नेशनल एड्स कन्ट्रोल संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अफ्रेसिस मशीन संचालन के लिये निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण अभीतक मरीजों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मरीजों के हित में कबतक मशीन को चालू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना

18. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार में पर्यटकों की संख्या में नहीं हो रही वृद्धि'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2019 में 339.9 लाख देशी एवं 10.09 लाख विदेशी पर्यटक आये थे, लेकिन कोरोना के बाद वर्ष 2021 से 2.50 लाख देशी एवं 0.1 लाख विदेशी एवं 2022 में अबतक 104.35 लाख देशी एवं 0.18 लाख विदेशी पर्यटक बिहार में आये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पर्यटन विभाग की ओर से चलायी जाने वाली योजनाओं का सही तरह से कार्यान्वयन नहीं होने के कारण पर्यटक बिहार में नहीं आ रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में पर्यटन की संख्या में वृद्धि करने हेतु कबतक कौन-सी कार्य योजना बनाकर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

कार्रवाई करना

19. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 7 फरवरी, 2023 के अंक में छपी खबर के प्रकाशित शीर्षक "केन्द्रीय करों में समय पर हिस्सा नहीं, अपनी रिकवरी भी कमजोर" के आलोक में क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवम्बर, 2022 तक राज्य को केन्द्रीय करों से 31 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी मिली है और राज्य के अपने राजस्व से मात्र 45 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में ऋण की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के राजस्व में कमी और केन्द्रीय सहायता में कटौती के कारण राज्य की योजनाओं को पूरा करने में अभी कठिनाइयाँ हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कुपोषण के शिकार होने का औचित्य

20. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में 63 प्रतिशत महिलाये और 69 प्रतिशत बच्चे कुपोषित, चलाया जा रहा पोषण अभियान" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाये जाने के बावजूद प्रदेश की 63.01 फीसदी महिलाये एवं 69.04 फीसदी बच्चों के कुपोषित रहने का औचित्य क्या है ?

आयुष चिकित्सकों एवं आयुष शिक्षकों की बहाली

21. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के आयुर्वेद कॉलेजों एवं चिकित्सालयों में आयुष चिकित्सकों की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2488, दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु विभाग से अनुमति की माँग की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों एवं आयुष शिक्षकों की बहाली हेतु अभीतक बी0पी0एस0सी0 को विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आयुष चिकित्सकों एवं आयुष शिक्षकों की बहाली बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

22. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के आम नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन की आवश्यकता पूरी करने के लिए कृत संकल्पित है, परन्तु पूरे राज्य में चिकित्सक एवं चिकित्सीय कर्मी के कुल स्वीकृत बल के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, यदि हाँ, तो सरकार विशेष अभियान चलाकर कबतक चिकित्सक एवं चिकित्सीय कर्मी के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा की पूर्ण प्रतिपूर्ति

23. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)---क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 14/विविध-9/2015-946 14, दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प की कंडिका 3 के अनुसार बहिर्वासी दन्त चिकित्सा में हुये सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति होनी है, लेकिन सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पताल के बाहर इलाज कराने पर भुगतान पूर्ण विपत्र का मात्र 15 प्रतिशत ही हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पताल से बाहर इलाज कराने पर बहिर्वासी दंत चिकित्सा की पूर्ण प्रतिपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी चिकित्सक पर कार्रवाई

24. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुभाष राय बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में पोस्टमार्टम/इंजुरी रिपोर्ट विलंब से मिलने के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने के आलोक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जन एवं अस्पताल प्रबंधन को व्यापक निर्देश जारी किया गया जिसमें विभाग द्वारा पोस्टमार्टम एवं इंजुरी रिपोर्ट थाने को हर हाल में 24 घंटा में उपलब्ध करने का निर्देश देने के बावजूद राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पोस्टमार्टम एवं इंजुरी के 1,13,755 मामले लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी अस्पतालों में अनावश्यक पोस्टमार्टम/इंजुरी रिपोर्ट निर्गत करने में विलम्ब करने वाले दोषी चिकित्सक/कर्मी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑक्सीजन प्लान्ट को सुचारू रूप से कार्य कराना

25. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को "जो ऑक्सीजन देने वाले थे, उनकी ही उखड़ने लगी है सांस" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 में करोड़ो रुपये खर्च कर राज्य के सभी जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लान्ट लगाया गया था परन्तु सरकार की अनदेखी के कारण एक-एक करके सभी ऑक्सीजन प्लान्ट बन्द होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थापित ऑक्सीजन प्लान्ट सुचारू रूप से चलाये जाने के लिए कौन-सा कारगर कदम कबतक उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन

26. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)---क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में माननीय विधायकों की अनुशंसा पर कराये जाने वाले कार्यों की सूची में हैंड पम्प लगाये जाने का प्रावधान नहीं रहने के कारण माननीय विधायकों द्वारा हैंड पम्प लगाये जाने की अनुशंसा नहीं की जा रही है, जबकि स्थलीय आवश्यकता के अनुसार हैंडपम्प कहीं-कहीं आवश्यक है, यदि हाँ, तो सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन कर उसमें हैंडपम्प लगाये जाने की अनुशंसा का प्रावधान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 3 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 74(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550